(28)

न्यायालय जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 164/2005 (जीसीएमएस संख्या : 2005/00003)

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सूज्या पुत्र श्री काना जाति–चमार, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
   - 1/1 शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–68/14, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
   - 1/2 लछमा देवी पुत्री स्व0 श्री सूज्या बैरवा पत्नी श्री रतनलाल बैरवा, निवासी– महादेवपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–बाईस गोदाम कच्ची बस्ती नाले के पास कठपुतली कालोनी, जयपुर। (मृतक)
   - 1/3 सीताराम पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–श्रीराम कालोनी, रामसिंहपुरा, सेक्टर 23 के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
   - 1/4 चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–68/4, हीरापथ, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, मानसरोवर, जयपुर।
   - 1/5 हेमराज पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–नैनवा की ढाणी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. धीस्या पुत्र श्री काना जाति–चमार, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. भौरया पुत्र श्री काना जाति–चमार, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. छीतर पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
   - 4/1 केसरा पुत्र छीतर, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
     - 4/1/1 रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री केसरा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 4/1/2 हजारी पुत्र स्व0 श्री केसरा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 4/1/3 गुलाब पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री बद्रीनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
     - 4/1/4 भूली देवी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री बद्रीनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
     - 4/1/5 ग्यारसी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री श्योजीलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–फाडियो का मोहल्ला, ग्राम–झिलाय, तहसील–टोंक, जिला–टोंक।
     - 4/1/6 लाडा देवी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–ग्राम नथमलपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

5. गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)

5/1 रामनिवास पुत्र गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)

5/1/1 लाडा देवी पत्नी स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/1/2 रामरख पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/1/3 शिवजीराम पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/1/4 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/1/5 रतनी देवी पुत्री स्व0 श्री रामनिवास पत्नी श्री रामधन, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–ग्राम बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/2 हरिनारायण पुत्र गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/3 रामजीवन पुत्र गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/4 जगदीश पुत्र गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

5/5 रामलाल पुत्र गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक :17.03.2021

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–नैनवा की साबिक आराजी खसरा नं0 338 रकबा 17 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 341 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 343 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 344 रकबा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 345 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 346 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा आराजी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004–2023 के अनुसार सूज्या, घीस्या, भंवरिया वल्द श्री काना, जाति–चमार साकिन देह के

नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे खातेदारान सूज्या वगैराह द्वारा छीतर गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट को बेचान कर दिये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–13 द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदारान की आराजी का सवर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज की गई है एवं अपंजीकृत बेनामे के द्वारा बैचान किया है, जो नियमों के विपरीत होने से अवैधानिक है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण/कायमी–मुकामान को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण/कायमी–मुकाम बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम–नैनवा की साबिक आराजी खसरा नं0 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा आराजी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004–2023 के अनुसार सूज्या, घीस्या, भंवरिया वल्द श्री काना, जाति–चमार साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे खातेदारान सूज्या वगैराह द्वारा छीतर गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट को बेचान कर दिये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–13 द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदारान की आराजी का सवर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के विरूद्ध है। बैचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा नहीं किया गया है। अतः बैचान/हस्तान्तरण नियमों के विपरीत होने से अवैधानिक है। रेफरेन्स के लिए कोई समय सीमा बाधित नहीं है। अतः नामान्तरकरण संख्या–13 एवं इसके पश्चात के समस्त इन्द्राजात को निरस्त किये जाने एवं वापिस अनुसूचित जाति के खातेदारान के नाम लगाये जाने की राय से रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को भेजा जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य की कब्जेशुदा खातेदारी की भूमि है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार गैर–अनुसूचित जाति के सदस्यों को विक्रय नहीं किया जा सकता है। नकल नामान्तरकरण संख्या–13 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को अनुसूचित जाति के खातेदारान द्वारा गैर–अनुसूचित जाति यथा जाट जाति के सदस्यों को जरिये विक्रय पत्र विक्रय किया गया है ऐसा विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 द्वारा वर्जित है और वादग्रस्त आराजी का विक्रय धारा 42 के उल्लंघन में हुआ है ऐसी स्थिति में किया गया विक्रय प्रारंभ से शून्य होने से अवैध है और लोक–नीति के विरूद्ध है। नामान्तरकरण संख्या–13 के अवलोकन

(31)

से यह भी जाहिर होता है कि विक्रय पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है अर्थात् विक्रय विलेख रजिस्टर्ड नहीं है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि खातेदारान सूज्या वगैराह द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई इस्तकरार हक व दखलयाबी का दावा प्रस्तुत किया गया हो और उसे सहायक जिलाधीश, जयपुर द्वारा निरस्त किया गया हो। अलबत्ता यह विधिक प्रावधान निश्चित रूप से प्रभावी है कि किसी अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी को जरिये बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से गैर–अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। आर.आर.डी. 307 जोरासिंह बनाम बसंतसिंह में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा दिनांक 01.05.1964 के पूर्व से किन्तु दिनांक 22.09.1956 के बाद में उससे भिन्न जाति के सदस्यों को किया गया हस्तान्तरण के आधार पर उसके पश्चात् किया गया हस्तान्तरण भी शून्य होने के कारण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करते है। नामान्तरकरण संख्या–13 लोक–नीति के विरूद्ध स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी के विक्रेता अनुसूचित जाति के खातेदार काश्तकार की खातेदारी में वादग्रस्त आराजी को पुनः लगाया जाना न्यायसंगत पाते है। अतः वादग्रस्त आराजी के बेनामा द्वारा किये गये बैचान के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 13 को एवं इसके पश्चात् के समस्त इन्द्राजात को निरस्त करने एवं वापिस अनुसूचित जाति के खातेदारान/काश्तकारान की खातेदारी में पुनः लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 11.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर